राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह / ग्रुप–9 / 2019 जयपुर, दिनांक : 06.06.2020

<u>आदेश</u>

विषय : दिनांक 31.05.2020 के लॉकडाउन 5.0 क्रियान्वयन आदेश में संशोधन।

समसंख्यक लॉकडाउन 5.0 क्रियान्विति आदेश दिनांक 31.05.2020 के निरन्तर में निम्नांकित गतिविधियों को सशर्त दिनांक 08.06.2020 से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति दी जाती है :–

1. **होटल व अन्य अतिथि सेवाऐं**

   शर्त : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु ''होटल व अन्य अतिथि सेवाओं'' के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।

2. **रेस्टोरेंट एवं क्लब**

   शर्तें :

   (1) समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु ''रेस्टोरेंट'' के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।

   (2) टेबल सीटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि दो टेबिल सीटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो।

   (3) फास्ट फूड़ इकाइयों, जहाँ स्टेंडिंग टेबल हैं, वहाँ टेबलों के मध्य कम से कम **8 फीट** की दूरी रखी जाये एवं एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं हों।

3. **शॉपिंग मॉल्स**

   शर्त : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा दिनांक 4 जून, 2020 को कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु ''शॉपिंग मॉल्स'' के सम्बन्ध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक समस्त रेंज।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
7. समस्त कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह